न्यायालय अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर(राजस्थान)

प्रकरण संख्याः– 1/2011 (धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975)

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

पत्तोली उर्फ राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला नदबई जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 विरूद्ध पत्तोली उर्फ राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. सहायक लोक अभियोजक।
2. श्री हरीमौहन धौर वकील अप्रार्थी।

दिनांक : 14.12.2017

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा यह इस्तगासा अंतर्गत धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 अप्रार्थी पत्तोली उर्फ राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाति जाटव निवासी जाटव मौहल्ला नदबई जिला भरतपुर। जिला भरतपुर के विरूद्ध पत्र क्रमांक 19883 दिनांक 28.10.2010 के जरिये न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किये गये इस्तगासा में अंकित किया है कि अप्रार्थी पत्तोली उर्फ राधेश्याम पुत्र शंकरलाल जाटव मौहल्ला कस्बा नदबई जिला भरतपुर का निवासी है जो एक बदमाश किस्म का व्यक्ति है एवं आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना हाजा पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय पेश हुये हैं तथा न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपराध कर आम जनता व समाज को दूषित कर रहा है। अतः अप्रार्थी की उक्त गतिविधयों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से इस शख्स के खिलाफ धारा–3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है–

क्र.	मु0न0	धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा न्यायालय
1	149/0	147.323.341 IPC	C.S. 68/30-6-90	बरी 12.9.95
2	487/96	323. 341 IPC	C.S. 282/30-10-96	राजीनामा 22.10.99
3	315/97	147. 323. 341 IPC	C.S. 158/30-6-97	धारा 147 में सजा परिवीक्षा
4	92/98	147. 332. 353. 341. 283 IPC व 3PDPP ACT	C.S. 239/30-9-98	सन्देह का लाभ 31.1.09
5	111/2K	16/54 EX ACT.	C.S. 190/2272K	दोषमुक्त 20.9.08
6	652/01	147. 149. 323. 353. 334. 379. 224. 225. 504. IPC	C.S. 418/18-12-01	
7	440/06	147. 148. 323. 324. 341. 149 IPC	C.S. 01/11-1-07	
8	327/09	13 RPGO	C.S. 216/14-7-09	100 रू0 से दण्डित
9	57/10	13 RPGO	C.S. 12/19-2-2010	100 रू0 से दण्डित

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया । साक्ष्य हेतु इस्तगासा में अंकित उपस्थित आये गवाहों के बयान दर्ज किये गये। नियत दिनांक 14.12.2017 को बहस सुनी की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा पत्रांक 19883 दिनांक 28.10.2010 के जरिये प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी पर दायर वर्ष 1996–2010 में उपरोक्तानुसार 9 मुकदमों जिनमें से क्रम संख्या 6 व 7 पर अंकित मुकदमों के नतीजे का हवाला नहीं दिया जाकर सभी का सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है, अंकित करते हुये अप्रार्थी के खिलाफ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया है। उपस्थित आये गवाहों के द्वारा इस्तगासा की ताईद करते हुये गैर सायल के विरूद्ध इस्तगासा में अंकित आरोपों की पुष्टि किया जाना स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी के खिलाफ वर्तमान में या इस्तगासा में वर्णित मुकदमों के आलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना व्यक्त किया गया। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्तगासा में अंकित गैर सायल के खिलाफ दायर एवं निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई नवीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही वर्तमान में कोई विचाराधीन है। यदि वर्तमान में गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण दायर/विचाराधीन होता तो न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा सकता था। इसके

अलावा न्यायालय हाजा से संबधित थानाधिकारी पुलिस थाना नदबई को जारी पत्र कमांक 394 दिनांक 9 जून 2015 की पुस्त पर महेनद्रसिंह नं0 134 पीएस नदबई द्वारा यह रिपोर्ट अंकित कर अवगत कराया है कि वर्तमान में अप्रार्थी शान्त है और चालचलन ठीक बताया गया है। एस0एच0ओ0 की इस रिपोर्ट के साथ बार्ड पार्षद बार्ड नं0 8 नगर पालिका नबदई का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया जिसमें अप्रार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये उसके द्वारा कोई गलत कार्य न किया जाना एवं वर्तमान में हॉस्टल चलाया जाकर अपने बच्चों को पढाया जाना एवं इसका चरित्र अच्छा होना अंकित किया है। पुलिस थाना नदबई की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में गैर सायल का चालचलन ठीक होना बताया जाना एवं इस्तगासा में दाखिर नतीजो से जाहिर है कि अप्रार्थी को केवल आरपीजीओ के दो प्रकणों में ही 100 रू0 के दण्ड से दण्डित किया गया है। जो वर्ष 2010 के निर्णित प्रकरण है। इनके अलावा अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक । इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण गैरसायल के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 1996–2010 के है जिनका तत्समय ही समक्ष अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है उनको आधार बनाया जाकर दिनांक 28.10.2010 को इस्तगासा पेश किया गया है। इसके अलावा वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। संबधित थाना नदबई की रिपोर्ट भी यह साबित करती है कि गैर सायल का वर्तमान चालचलन पाकसाफ है। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर–अंदाज करते हुये करीब 7–8 साल पुराने मुकदमों को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरूद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह इस्तागासा वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official